राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यवाही विवरण

विषयः– शहीदों के आश्रितों को मण्डल की आवासीय योजना जोधपुर, सीकर , उदयपुर एवं प्रताप नगर सॉगानेर जयपुर में मध्यम आय वर्ग "ब" के आवास/फ्लैट्स हेतु दिनांक 10.8.2018 को आयोजित लॉटरी बाबत।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(5)नविवि/3/2012 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल (सम्पत्ति निस्तारण) विनियम 1970 के विनियम 8 ए के अन्तर्गत कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीदों के आश्रितों के लम्बित प्रकरणों में निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 20 आवेदकों को जयपुर शहर, उदयपुर, जोधपुर एवं सीकर में एमआईजी–बी श्रेणी का आवास/फ्लैट आवंटन हेतु सूचित किया गया है। इसी प्रकार संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(5)नविवि/3/2012 दिनांक 24.07.2018 के द्वारा 8 आवेदकों को जयपुर शहर में एमआईजी–बी श्रेणी के आवास/फ्लैट्स आवंटन हेतु सूचित किया गया है। इस संबंध में मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के पत्र क्रमांक 555 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय जयपुर को उक्त लॉटरी आयोजन हेतु अधिकृत किया गया है। एजेण्डानुसार निर्धारित दिनांक 10.08.2018 को राजस्थान आवासन मण्डल ज्योति नगर जयपुर मुख्यालय के कम्प्यूटर प्रकोष्ठ में मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे कम्प्यूटर वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा कुडी भगतासनी योजना जोधपुर में 1 डुप्लैक्स आवास, शिवसिंहपुरा सीकर योजना में मध्यम आय वर्ग "अ" का 1 फ्लैट् तथा प्रताप नगर योजना जयपुर में 25 फ्लैट्स का आवंटन किया गया। उदयपुर शहर में आवास आवंटन हेतु शहीदों के आश्रित का एक ही आवेदक होने के कारण दक्षिण विस्तार आवासीय योजना उदयपुर में मध्यम आय वर्ग "ब" के उपलब्ध डुप्लैक्स आवास संख्या सी–184 का आवंटन पिता श्री धर्मचन्द नागौरी /शहीद का नाम श्री अभिनव नागौरी को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

10.8.18

अति. मुख्य अभियन्ता–प्रथम
अध्यक्ष–लॉटरी समिति

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक,
राज.आ.मंडल जयपुर

अति.मुख्य अभियन्ता–द्वितीय,
जोधपुर

10/8/18

उप आवासन आयुक्त
वृत्त–प्रथम जयपुर

10.8.18

उप आवासन आयुक्त
वृत्त–द्वितीय जयपुर